



Ph.No.0771-2512141,

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक,
सेक्टर-19 नया रायपुर (छ.ग.)
Email-Id-aocsbajwa@yahoo.in,



website-www.cghb.gov.in

क्रमांक 620 /सं.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.-13/18 नया रायपुर, दिनांक 13 / 03 /2018
प्रति,


1. कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग- 1, 2, 3, 4, रायपुर, राज. परि. संभाग-1/02
नया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा,
कोण्डागांव, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा,
अम्बिकापुर, रायगढ़ ।
2. संपदा अधिकारी
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र - 01, 02, 03, 04, 05 रायपुर, दुर्ग,
बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, कोण्डागांव, राजनांदगांव,
महासमुंद, कवर्धा, अम्बिकापुर, रायगढ़, धमतरी।

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में पंजीकृत अभिकर्ता के संबंध में।

—000—

छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम (RERA) 2016 को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-41/2016/32 दिनांक 26 अप्रैल 2017 द्वारा भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम 2016 (2016 का 16) की धारा 84 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भू-संपदा के विनियम तथा विकास हेतु नियम प्रभावशील किए गए हैं। पूर्व में मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु अभिकर्ताओं का पंजीयन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में किया गया है। वर्तमान स्थिति में (RERA) अधिनियम/नियम का क्रियान्वयन राज्य शासन द्वारा पूर्ण प्रदेश में लागू/प्रभावशील कर दिया गया है। अतः मण्डल में अभिकर्ताओं का पंजीयन निष्प्रभावी हो गया है।

अतः वर्तमान स्थिति में मण्डल के पंजीकृत अभिकर्ता के द्वारा संपत्ति विक्रय किये जाने पर किसी भी प्रकार का मानदेय/भुगतान मण्डल द्वारा नहीं किया जावेगा। तदसंबंध में प्रक्षेत्र कार्यालय में पंजीकृत अभिकर्ता को सूचित कर छत्तीसगढ़ RERA में नवीन पंजीयन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ RERA में पंजीयन पश्चात् ही छत्तीसगढ़ RERA के अभिकर्ता मण्डल की संपत्ति विक्रय करने तथा मण्डल द्वारा निर्धारित मानदेय के पात्र होंगे। कृपया कि गई कार्यवाही से मण्डल मुख्यालय को अवगत करावें।


13.03.18
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर


क्रमशः-02

-:-02-:-

पृ.क्र.621/स.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.- 73 /2018 नया रायपुर, दिनांक 13 /03 /2018

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
2. अपर आयुक्त-I(जे.)/II(व्ही.)/III(पी.)/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ भूसंपदा विनियम आयोग (RERA) शास्त्री चौक रायपुर की ओर सूचनार्थ।


13.03.18
मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर